न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 196/2022(GCMS : 2022/289)**

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री प्रशान्त कुमार सिंह शाखा RASMECCC द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री संजीव कुमार** पुत्र श्री अमर नाथ निवासी मकान नं. 68, मॉडल टाउन प्रथम, यूआईटी के पीछे, श्रीगंगानगर
2. **श्री भुवनेश ठाकुर पुत्र श्री संजीव कुमार** निवासी मकान नं. 68, मॉडल टाउन प्रथम, यूआईटी के पीछे, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 28.11.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण संजीव कुमार एवं भुवनेश ठाकुर को ऋण सुविधा के रूप में 14.20/– लाख रूपये (अखरे रूपये चौदह लाख बीस हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संजीव कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 68 (क्षेत्रफल 15′ गुणा 31′ वर्गफुट) मॉडल टाऊन प्रथम, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण संजीव कुमार एवं भुवनेश ठाकुर** को दिनांक 05.04.2012 को 4.20/– लाख रूपये एवं दिनांक 09.12.2019 को 10.00/– लाख रूपये कुल 14.20/– (अखरे रूपये चौदह लाख बीस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संजीव कुमार की अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 68 (क्षेत्रफल 15 गुणा 31 वर्गफुट) मॉडल टाऊन प्रथम, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.08.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 31.08.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.09.2022 को भिजवाये गये है, अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस भेजने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त होने के ऑनलाईन ट्रैक **पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार, समस्त** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह की अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 68 (क्षेत्रफल 15' गुणा 31' वर्गफुट) मॉडल टाऊन प्रथम, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 31.08.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 31.08.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.09.2022 को भिजवाना अंकित है। **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस तामील होना माना जाना उचित है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक/कम्पनी की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी संजीव कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी संजीव कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 68 (क्षेत्रफल 15' गुणा 31' वर्गफुट) मॉडल टाऊन प्रथम, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:41 IST
Reason: SelfAttested